(वाद संख्या–5647/2018)

05.10.2021

परिवादी, शोभा सिंह, अनुपस्थित है।

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, शोभा सिंह, प्रखण्ड शिक्षिका को पंचायत शिक्षिका के पद से सेवामुक्त करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के प्रतिवेदनानुसार ‘‘परिवादी अमान्य प्रमाण पत्र पर कार्यरत थी एवं वर्त्तमान में विद्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लगाया गया आरोप सही नहीं है। तद्नुसार इस वाद की कार्रवाई समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है।’’

प्रसंगाधीन मामला, अमान्य प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति से संबंधित है जिसमें राज्य आयोग द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिवादी अगर चाहें तो अपने परिवाद–पत्र के संबंध में सक्षम न्यायालय में विधिनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष हेतु याचना कर सकती है।

राज्य आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामले को जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के प्रतिवेदन के आलोक में संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के प्रतिवेदन (पृ0–40–35/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक